भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1
उत्तर दिनांक 29/01/2026 को दिया गया

शांति-अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी चिंताएँ

1. श्री एस. आर. शिवलिंगम

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) परमाणु रिएक्टरों का प्रचालन करने वाले संयुक्त उद्यमों और निजी कंपनियों की निगरानी के लिए सरकार द्वारा शांति अधिनियम के तहत कौन-कौन से नियामक तंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(ख) सरकार ने संभावित सुरक्षा संबंधी चूकों और रेडियोधर्मी पदार्थों की अनधिकृत बिक्री के संबंध में अंतरराष्ट्रीय दावों से निपटने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) शांति अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त लाइसेंस और संबंधित नियामक परिषद से संरक्षा प्राधिकरण के तहत संयुक्त उद्यमों और निजी फर्मों को नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और निपटान के लिए अनुमति प्रदान करता है। जारी किए गए लाइसेंस में ऐसे नियम और शर्तें होंगी जिसमें सुरक्षा, संरक्षोपायों, रेडियोसक्रिय अपशिष्ट निपटान आदि के कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं। इसके अलावा, संरक्षा प्राधिकरण में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के संरक्षित प्रचालन के लिए संरक्षा विनियमन के कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

लाइसेंसधारी, नाभिकीय विद्युत संयंत्र के विकमीशनन के लिए भी जिम्मेदार होगा और ऐसी नाभिकीय संस्थापनाओं के प्रचालक, नाभिकीय घटनाओं के कारण होने वाली नागरिक नाभिकीय क्षति के मुआवजे के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) शांति अधिनियम में अधिनियम के प्रावधानों में से किसी को भंग या उल्लंघन करने की स्थिति में दंड और अपराधों से संबंधित प्रावधान निहित हैं। ऐसे अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत संज्ञेय हैं। रेडियोसक्रिय पदार्थ को अनधिकृत रूप से हटाने या बिना लाइसेंस के उपयोग से संबंधित मामलों में, शांति अधिनियम कारावास, जुर्माना या दोनों से युक्त दंड का प्रावधान करता है।

*****